हिन्दुस्तान

सारण के 21 बिल्डरों पर रेरा की सख्ती

रेरा से निबंधन कराये बिना डेवलपर कंपनी की ओर से जमीन की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई शुरू

शिकंजा

छपरा, नगर प्रतिनिधि। भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर नियमों का उलंघन करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

प्रथम चरण में 21 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो बगैर रेरा निबंधन के ही बनाए गए हैं। रेरा ने इस कार्य में वन एवं पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक की सहायता ली।

साथ ही 31 मई को जिला प्रशासन व रेरा की तीन टीमों द्वारा अलग-अलग रूप से छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा व दरियापुर के डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटों पर जाकर निरीक्षण किया गया व निरीक्षण में पाया गया कि कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन टी का उल्लंघन है, जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा व दरियापुर के 21 डेवलपर का नाम निम्न है, जिनसे भूमि की बिक्री नहीं करने का आमजनों से अनुरोध किया जाता है।

किसी भी क्षेत्रान्तर्गत यदि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी प्लॉट की बिक्री करता है अथवा किसी भी क्षेत्र में एक बड़े प्लॉट के तहत छोटे-छोटे प्लॉटों की संख्या आठ से ज्यादा है। किसी भी निर्माण कराये जा रहे अर्पाटमेंट में फ्लैटों की संख्या आठ से ज्यादा है तो उसे प्लॉट, फ्लैट बिक्री करने से पूर्व निश्चित रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा नहीं तो रेरा एक्ट के सेक्शन तीन के तहत संबंधित पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही कोई भी व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी निबंधन से पूर्व प्लॉट बिक्री के संबंध में कहीं भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है, न कोई नोटिस निर्गत कर सकता है। न दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा सकता है, न ऑनलाइन विज्ञापन दे सकता है और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकता है। ये बातें बिहार के रेरा जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह व जिलाधिकारी अमन समीर ने संयुक्त रूप से रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में कही।

निबंधन देख लें ग्राहक

इसमें आमजनों से आग्रह है कि वे यह अवश्य देख लें कि यदि एजेन्ट के नाम रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या बीआरईआरएए से प्रारंभ होगा व किसी डेवलपर द्वारा प्रोजेक्ट संचालन के लिए रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या बीआरईआरए पी से प्रारंभ होगा।

आमजनों से आग्रह है कि वे निबंधन संख्या में ए एवं पी का अंतर देखकर ही भूमि क्रय की कार्रवाई करें। बैठक में बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार व अन्य उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में रेरा के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी अमन समीर, बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार। • हिन्दुस्तान

नियमों के अनुसार प्लॉट पर कम से कम पांच फीट गुना चार फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है

जांच आयुक्त ने बताया कि यदि कोई डेवलपर कंपनी यह दावा करता है कि वो रेरा से पूर्व से ही निबंधित है व निबंधन के पश्चात् ही जमीन की बिक्री करने का कार्य कर रहा है तो उसे रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्लॉट पर कम से कम पांच फीट गुणा चार फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा द्वारा निबंधित कराये गये रेरा निबंधन संख्या व ओ आर कोड निश्चित रूप से प्रदर्शित रहना चाहिए ताकि ओआर कोड के माध्यम से संबंधित डेवलपर व उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों का नाम, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य आदि से संबंधित सभी सूचनाएं आमजनों को आसानी से प्राप्त हो सके।